मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शनिवार, दिनांक 20 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 29, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:06 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. प्रश्नकाल में उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

उत्तरप्रदेश में कांग्रेस पार्टी की महासचिव के साथ दुर्व्यवहार होना

श्री जितू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री एवं श्री ओमकार सिंह मरकाम, जनजातीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया कि कल उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सहित 10 आदिवासियों की सामूहिक हत्या की घटना के बाद उनके परिवार से मिलने एवं गरीबों के आंसू पोंछने के लिए सोनभद्र जा रही थीं, उनके साथ वहां पर अलोकतांत्रिक व्यवहार हुआ और वहां की भा.ज.पा. की सरकार द्वारा उनको गिरफ्तार कर रोका गया.

प्रश्नकाल में व्यवधान की स्थिति होने पर अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया कि ये क्या तरीका है, प्रश्नकाल चलने देना है या नही? मैं ऐसा विचार कर रहा हूं कि लोक सभा की नियमावली यहां भी लागू की जाए और अगली बार से प्रश्नोत्तरकाल आधे घंटे बाद शुरू कर शून्यकाल को पहले ले लिया करें, जिस माननीय सदस्य को अपनी बात कहना है वह पहले बोल दें और प्रश्नों के समय में कुठाराघात न हो. क्योंकि नये विधायक बड़ी मुश्किल से प्रश्न लेकर आते हैं. किसी भी प्रश्न का जवाब तैयार करने में शासन का बहुत पैसा ज़ाया होता है. इसलिए नेता प्रतिपक्ष एवं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस तरह व्यवधान के विषय में मेरे साथ चर्चा करें. ताकि हम सुचारू और व्यवस्थित तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में माननीय सदस्यों को न्याय प्रदान कर सकें.

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने मत व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश की घटना का मध्यप्रदेश में चर्चा का क्या औचित्य है, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है.

सदन में व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा 11.13 बजे से सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.18 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

प्रश्नों के उत्तर एक दिन पूर्व उपलब्ध कराया जाना

आसंदी ने माननीय मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे अपने विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दें, कि जो नए विधायक हैं, अगर उनको यदि एन वक्त पर प्रश्नों का उत्तर मिलेगा तो वे समय पर तैयारी कर, प्रश्न नहीं कर सकेंगे. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 4 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3 एवं 5) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 124 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 122 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

4. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में श्री विवेक तन्खा, राज्यसभा सांसद की उपस्थिति पर स्वागत् उल्लेख किया. श्री विश्वास सारंग, सदस्य ने उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा एम्स की स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग कमेटी का सदस्य बनाने के लिए बधाई दी गई.

5. बहिर्गमन

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा किसानों की कर्ज माफी संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या 5 (*क्रमांक 502) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.

6. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली वि.स. क्षेत्र अंतर्गत न.पा.परिषद मकरोनिया में मलेरिया एवं अन्य रोगों की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा कोई उपाय न किये जाने,

(2) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की देवास जिले के कन्नौद एवं खातेगांव में संबल योजना अंतर्गत आश्रितों को राशि का भुगतान न मिलने,

(3) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की रायसेन जिले की ग्राम पंचायतों में सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन का नियमित रूप से भुगतान न होने,

(4) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की उज्जैन जिले के नागदा स्थित उद्योगों से भारी मात्रा में प्रदुषण फैलने,

(5) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र वॉटर हार्वेस्टिंग की अनुमति दिये जाने,

(6) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य की वि.स. क्षेत्र पनागर में संबल योजना अंतर्गत आवंटन के अभाव में पीड़ित परिवारों को सहायता राशि का भुगतान न होने,

(7) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय, सदस्य की कटनी जिले की बहोरीबंद तहसील अंतर्गत सड़क की मरम्मत एवं डामरीकरण साईड शेल्डर के साथ कराये जाने,

(8) श्री मुन्नालाल गोयल, सदस्य की ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में अव्यवस्था होने,

(9) श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में हरपुरा सिंचाई योजना के स्वीकृत कार्यों को पुन: चालू कराये जाने तथा

(10) श्री विनय सक्सेना, सदस्य की जबलपुर सिविक सेंटर स्थित कीर्ति स्तम्भ को तोड़े जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

7. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

1. जबलपुर में जैन समाज के कीर्ति स्तम्भ को तोड़ा जाना

श्री विनय सक्सेना, सदस्य ने उल्लेख किया कि जबलपुर में जैन समाज के कीर्ति स्तम्भ को नगर निगम द्वारा तोड़ दिया गया है, जिससे पूरा समाज उद्वेलित होकर धरना, प्रदर्शन कर रहा है. आसंदी ने श्री लखन घनघोरिया, सामाजिक न्याय मंत्री एवं श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि जबलपुर के निवासी होने के नाते वे इस प्रकरण को निपटाएं, ताकि जैन समाज का आक्रोश खत्म हो सके.

वित्त मंत्री ने आसंदी को आश्वस्त किया कि आसंदी के निर्देशों का पालन करते हुए, कीर्ति स्तम्भ का पुनर्निर्माण उसी स्थान पर करवा दिया जायेगा.

2. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाना

श्री विश्वास सारंग, सदस्य, श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि उच्च शिक्षा विभाग ने अपने पाठ्यक्रम का जो कैलेण्डर जारी किया है उसमें से आदि शंकराचार्य और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पाठ्यक्रमों को हटाने के निर्देश दिये हैं. आदि शंकराचार्य जी ने इस देश की एकता, अखण्डता, संस्कृति एवं विरासत को संभालने का काम किया था. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन और सामाजार्थिक चेतना के काम किए थे. हमारी संस्कृति और विरासत को नष्ट करने की अनुमति हम किसी को नहीं दे सकते हैं.

आसंदी ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध किया कि सनातन धर्म अक्षुण्ण है, सतत् रूप से चलता है इसलिए वो पाठ्यक्रम रोकना कदाचित ठीक नहीं है. ऐसे पाठ्यक्रम चालू रहें, विभाग इस पर संज्ञान ले.

3. विवेकानंद कॉमर्स एवं आर्ट्स कॉलेज की महिला प्राचार्य के साथ छेड़छाड़ की जाना

श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य ने उल्लेख किया कि एन.एस.यू.आई. के लोगों द्वारा विवेकानंद कॉमर्स एवं आर्ट्स कॉलेज की महिला प्राचार्य के साथ छेड़छाड़ एवं धक्का मुक्की की गई एवं उनको कॉलेज में बंद कर दिया गया. दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाए.

4. मनासा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम लसूड़िया में मोरों का शिकार किया जाना

श्री अनिरूद्ध (माधव) मारू, सदस्य ने उल्लेख किया कि मनासा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम लसूड़िया में मोरों का शिकार किया गया है. थाने में शिकायत करने के बाद भी शिकारियों का पता नहीं चल पाया है. मोरों का शिकार करने वाले ग्रामीणों द्वारा मार दिया गया है, दोषियों पर कार्यवाही की जाय.

5. टीकमगढ़ जिले में खरीदी गई खरीफ फसल का उचित दाम न मिलना

श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य ने उल्लेख किया कि टीकमगढ़ जिले में सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदी गई खरीफ फसल वेयर हाउस में रखी है पर किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाया है.

7. बारिश के कारण सिराली से महेन्द्र गांव मार्ग खराब होना

श्री संजय शाह मकड़ाई, सदस्य ने उल्लेख किया कि सिराली से महेन्द्र गांव मार्ग तेज बारिश के कारण खराब हो जाने से खेतों में जल भर गया है. जिससे किसानों की फसल खराब हो गई है. तहसीलदार द्वारा अवलोकन भी नहीं किया जा रहा है.

8. ईदगाह हिल्स, भोपाल स्थित दिव्यांग बच्चों हेतु बस का पुनः संचालन किया जाना

श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य ने उल्लेख किया कि ईदगाह हिल्स, भोपाल स्थित दिव्यांग बच्चों को बैरागढ़-करौद से लाने एवं ले जाने वाली बसों का संचालन पिछले 3 माह से बंद होने से बच्चों के माता-पिता परेशान हैं, यह गरीब मध्यमवर्गीय परिवार के लोग हैं, इसलिए उनके बच्चों को ले जाने के लिए बसों का पुनः संचालन किया जाय.

9. प्रदेश के अंदर सिंथेटिक दूध विक्रय होना

श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि पूरे प्रदेश के अंदर लगभग डेढ़ लाख लीटर दूध सेंथेटिक बेचा जा रहा है. प्रदेश की जनता व बच्चे उसका उपयोग करते है, उसी दूध से मावा, मिठाई बनती है. यह गंभीर मसला है. हमने स्थगन दिया है इस पर चर्चा कराएं. आसंदी ने माननीय सदस्य को सूचित किया कि आपकी बात अंकित हो गई है.

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय सदस्य को अवगत कराया कि माननीय सदस्यों की सूचना पर ही शासन ने छापा डालने के निर्देश दिये थे.

8. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री आरिफ अकील, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा पटल पर रखा.

(2) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश शासन के चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का अंतिम प्रतिवेदन, जनवरी, 2017 एवं इस पर राज्य शासन का अनुवर्ती कार्यवाही प्रतिवेदन पटल पर रखे.

9. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें.

(1) सर्वश्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, रामकिशोर (नानो) कावरे, सदस्यगण ने बालाघाट जिले के वन वृत्त लौंगुर में लकड़ी कटाई में लगे मजदूरों को मजदूरी न मिलने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री उमंग सिंघार, वन मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य ने छतरपुर जिला चिकित्सालय को नवीन भवन में संचालित न किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री तुलसीराम सिलावट लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वक्तव्य दिया.

सभापति महोदया (श्रीमती झूमा सोलंकी) पीठासीन हुईं.

(3) सर्वश्री देवेन्द्र वर्मा, सचिन बिरला, नारायण पटेल, श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सदस्यगण ने इंदौर-इच्छापुर राजमार्ग की जर्जर हालत होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, लोक निर्माण मंत्री ने वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति(एन.पी) पीठासीन हुए.

10. पृच्छा

ध्यानाकर्षण सूचना पर गृह मंत्री द्वारा दी गई आश्वासित जानकारी विषयक

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी से अनुरोध किया कि मैंने दिनाँक 19 जुलाई 2019 को एक ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से अपने क्षेत्र में एक गरीब किसान की दुखद आत्महत्या की चर्चा थी. गृह मंत्री ने अपने उत्तर में यह आश्वासन दिया था कि, "आज सायंकाल तक हम उस पर कार्यवाही करके गिरफ्तारी करवाएँगे." मुझे जानकारी मिली है कि उस मामले में टाल-मटोली और उस मामले को प्रभावित करने की भी कोशिश की जा रही है. आसंदी ने कल व्यवस्था दी थी, हमें जो कुछ भी आश्वासन दिया था वह शब्दश: वही रहेगा या कहीं कोई परिवर्तन होगा.

श्री बाला बच्चन, गृह मंत्री द्वारा आसंदी को उल्लेख किया कि मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि लंच के बाद आपके साथ बैठकर इसका हम पर्दाफाश करेंगे. कल जो कुछ कहा था उसका हम अक्षरश: पालन करेंगे.

11. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(4) श्री मुन्नालाल गोयल, सदस्य ने ग्वालियर के फूटी कॉलोनी के विस्थापितों को पट्टे प्रदान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे (जिला-बालाघाट)
(2) श्री इन्दर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)
(3) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(4) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
(5) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (जिला-शिवपुरी)
(6) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(7) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)
(8) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(9) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(10) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(11) श्री प्रदीप पटेल (जिला-रीवा)
(12) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
(13) श्री गोवर्धन दांगी (जिला-राजगढ़)
(14) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(15) श्री प्रेमशंकर वर्मा (जिला-होशंगाबाद)
(16) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(17) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(18) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(19) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा (जिला-सतना)
(20) श्री शरद जुगलाल कोल (जिला-शहडोल)

13. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया कि - आज भोजनावकाश नहीं होगा. भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

14. शासकीय वक्तव्य

(1) श्री बाला बच्चन, गृह मंत्री द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 2019 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्रमांक 258) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

(2) श्री कमलेश्वर पटेल, पंचायत मंत्री द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2019 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 77 (क्रमांक 377) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

(3) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, पर्यटन मंत्री द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2019 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्रमांक 74) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री तुलसीराम सिलावट, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री ने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

16. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमशः)

(9) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 1	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए दो हजार अठहत्तर करोड़, चवालीस लाख, नौ हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 2	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए सत्ताइस करोड़, अठासी लाख, इक्कीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 17	परिवहन के लिए एक सौ बारह करोड़, तीस लाख, अड़तीस हजार रुपये, एवं
अनुदान संख्या – 28	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए दो हजार तीन सौ चौरासी करोड़, अठहत्तर लाख, सत्ताइस हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(1) श्री रामपाल सिंह
(2) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव
(3) श्री कमल पटेल
(4) श्री रामलाल मालवीय
(5) श्री रामलल्लू वैश्य
(6) श्रीमती झूमा सोलंकी
(7) डॉ. मोहन यादव
(8) श्री सोहनलाल बाल्मीक

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

(9) श्री देवीलाल धाकड़
(10) श्री संजय यादव
(11) श्री लक्ष्मण सिंह

श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(10) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 14	पशुपालन के लिए एक हजार एक सौ बहत्तर करोड़, छियालीस लाख, अड़सठ हजार रुपये एवं
अनुदान संख्या – 16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास के लिए एक सौ करोड़, तिरानवे लाख, पांच हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

17. अध्यक्षीय व्यवस्था
आसंदी और वक्ता के सामने से सिर झुकार निकलना

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि जब कोई वक्ता बोल रहे हों और कोई सदस्य आसंदी और वक्ता के मध्य से निकले तो सिर झुकाकर निकले, यह सदन की मान्य परंपरा रही है.

18. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमश:)

सभापति महोदय (श्री बिसाहूलाल सिंह)पीठासीन हुए.

(2) श्री लक्ष्मण सिंह
(3) श्री अजय सिंह

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(4) श्री विनय सक्सेना
(5) श्री देवेन्द्र शर्मा
(6) श्री गिर्राज दण्डौतिया
(7) श्री भारत सिंह कुशवाह
(8) श्री हरदीप सिंह डंग
(9) श्री दिलीप सिंह परिहार
(10) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(11) श्री उमाकांत शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.) पीठासीन हुए.

श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(11) श्री ओमकार सिंह मरकाम, पशुपालन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 33	आदिम जाति कल्याण के लिए सात हजार चार सौ बानवे करोड़, चौबीस लाख, तीन हजार रुपये, एवं
अनुदान संख्या – 69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण के लिए इक्तीस करोड़, इक्यावन लाख, ग्यारह हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री मनोहर ऊंटवाल

19. अध्यक्षीय घोषणा
स्वल्पाहार की व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया कि स्वल्पाहार की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करने का कष्ट करें.

20. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमशः)

(2) श्री बिसाहूलाल सिंह
(3) श्री हरिशंकर खटीक
(4) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को

सभापति महोदय (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया) पीठासीन हुए.

(5) श्री कुंवर सिंह टेकाम
(6) श्री नारायण सिंह पट्टा
(7) श्री सीताराम
(8) डॉ. अशोक मर्सकोले
(9) कुंवर विजय शाह
(10) श्रीमती झूमा सोलंकी
(11) श्री अनिरूद्ध (माधव) मारू

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(12) श्री पांचीलाल मेड़ा
(13) डॉ. हीरालाल अलावा

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.) पीठासीन हुए.

श्री ओमकार सिंह मरकाम, पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(12) डॉ. प्रभुराम चौधरी, स्कूल शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के लिए पन्द्रह हजार तीन सौ उनचास करोड़, साठ लाख, छियानवे हजार रुपये, एवं
अनुदान संख्या – 40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) के लिए तीन हजार तीन सौ तैतीस करोड़, सोलह लाख, पैंसठ हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) कुँवर विजय शाह
(2) श्री जजपाल सिंह जज्जी
(3) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(4) श्री महेश परमार
(5) श्री संजीव सिंह "संजू"

22. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

23. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमशः)

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.) पीठासीन हुए.

डॉ. प्रभुराम चौधरी, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(13) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 12 ऊर्जा के लिए नौ हजार एक सौ चौदह करोड़, नवासी लाख, चौरानवे हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल
(2) श्री प्रवीण पाठक
(3) श्री पारस चन्द्र जैन

24. अध्यक्षीय व्यवस्था

ऊर्जा विभाग पॉवर जनरेशन कंपनी के एम.डी. की अनुपस्थिति के संबंध में

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष द्वारा ध्यान आकर्षित करने पर अध्यक्ष महोदय ने यह उल्लेख किया कि जब मैं बिजली मंत्री था तब टेक्नोक्रेट होते थे, आज आपके एम.डी.ब्यूरोक्रेटस हैं, उन्हें समझना चाहिए कि सदन लोकतंत्र का मंदिर है. मेरे समय टेक्नोक्रेट मेंबर O&M नहीं आये थे, तब मैंने उस समय एक्शन लिया था. बिजली की महत्वपूर्ण चर्चा जो आमजन से जुड़ी हुई है तथा निर्देश किया कि मंत्रिगण आपको यह ध्यान रखना चाहिये कि आपके विभाग के प्रत्येक अधिकारी उपस्थित रहें, क्योंकि मैं इस संबंध में दो बार हर विभाग को निर्देश दे चुका हूँ. अगर इस सदन में आपके अधिकारी नहीं आयेंगे तो वो बेपरवाह हो जायेंगे. इसके संबंध में मैं अपने कार्यालय से बोलूंगा कि ऊर्जा विभाग को एक पत्र जारी करें.

डॉ.गोविन्द सिंह, संसदीय कार्यमंत्री ने आसंदी को अवगत कराया कि इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने प्रमुख सचिव एवं अन्य अधिकारियों को आने को कहा था परन्तु उनको निर्देश नहीं दिये थे. माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा.

अध्यक्ष महोदय ने संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि आप संसदीय मंत्री हैं और मैं आपकी बात से सहमत हूं किंतु यह संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव की जवाबदारी है, यह मंत्री जी की जवाबदारी नहीं है कि उनके पूरे समूचे अधिकारी जो उनके विभाग से संबंधित हैं उनको यहां रहना चाहिये, जहां तक मैं समझता हूँ और यह कहना चाहता हूं कि नियम कानून विधानसभा के सदस्यों को बताये जाते हैं, लेकिन अधिकारियों को भी नियमों में बंधे रहना चाहिये.

25. अध्यक्षीय घोषणा
भोजन की व्यवस्था होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया कि - रात्रि भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

26. वर्ष 2019-2020 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमशः)

(4) श्री कुणाल चौधरी
(5) श्री अजय विश्नोई
(6) श्री सुनील सराफ
(7) श्री संजीव सिंह "संजू"
(8) श्री संजय शर्मा

श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

27. बहिर्गमन एवं वापसी

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण द्वारा मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया एवं कुछ समय बाद वापस आए.

अपराह्न 10.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही रविवार, दिनांक 21 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 30, शक सम्वत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 20 जुलाई, 2019